(c) Government is aware of all the existing imbalances in the situation of women and is talking necessary remedial measures and interventions through various development programmes to correct those imbalances with the ultimate objective of mainstreaming women in national development.

दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण का गिरता हुआ स्तर

2501. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्त राम जायसवाल :
श्री महेन्द्र सिंह लाठर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण का स्तर गिर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप परीक्षा-परिणाम वर्ष में बदतर होते जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में पेय-जल की भारी कमी है और अध्यापक छात्र-छात्राओं से विद्यालय के कमरों, फर्शों, बरांडों और छतों की पानी से धुलाई करने के लिए कहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालयों में नियमित शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है/उठाने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) वर्ष 1992 में, कक्षा–X में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशतता, 91.83 प्रतिशत तथा कक्षा–XII में 79.6 प्रतिशत थी। वर्ष 1991 के संगत आंकड़े, कक्षा–X के 91.06 प्रतिशत तथा कक्षा–XI के 83.4 प्रतिशत थे।

(ख) जी, नहीं। संगठन ने पूर्वी दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में पेय-जल की पर्याप्त व्यवस्था की है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने, गैर-स्कूली कार्य-अनुभव विषय के अधीन स्कूल की स्वच्छता और उसे सुन्दर बनाने की एक कार्यकलाप के रूप में शामिल किया है। सामान्य स्वच्छता के लिए, संगठन, विद्यालयों में सफाई कर्मचारी नियुक्त करता है। जहां आवश्यक हो, सफाई कर्मचारियों की संख्या एक से अधिक हो सकती है।

(ग) प्रधानाचार्य, विद्यालयों के शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और नियन्त्रण करते हैं। वे स्कूल में शैक्षिक सुधार लाने के लिए वर्ष के शैक्षिक कार्य की पहले से ही आयोजना बनाते हैं। शैक्षिक तथा प्रशासनिक पर्यवेक्षण भी दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है।

Information sought by the Prime Minister about the affairs of KVS

2502. SHRI J.S. RAJU :
SHRIMATI SARALA MAHESHWARI :
SHRI SARADA MOHANTY :
SHRI MISA R. GANESAN

Will the Minister of HUMAN RESOU RCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Prime Minister had recently asked he HRM to inform about the affairs of KVS ;

(b) if so, whether the Prime Minister has since been informed ; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The issues related to policies concerning transfer and postings of teachers and special dispensation admissions of students in Kendriya Vidyalayas.

केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण

2503. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में दाखिले के संबंध में क्या नियम हैं;

(ख) क्या इन विद्यालयों में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों में दाखिले के नियम:

1. केन्द्रीय विद्यालय :

केन्द्रीय विद्यालय, मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों, जिनमें रक्षा कार्मिक तथा अर्ध-सैनिक बल भी शामिल हैं, के बच्चों के लिए हैं, तथा दाखिले के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं:

(क) सिविल/रक्षा क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय :

(i) रक्षा कार्मिकों,/सी.आर.पी.एफ/बी.एस.एफ./एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ./एन.एस.जी. कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं तथा भारतीय विदेश सेवाओं के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे, संसद सदस्यों के बच्चे तथा उन पर आश्रित पौत्र, (ग्रान्ड चिल्ड्रन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के बच्चे और केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों जिनमें ड्यूटी के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिक भी शामिल हैं, के बच्चे।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त-निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(iii) केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अस्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(iv) अन्य यायावर जनसंख्या, जिसमें वह भी जनसंख्या शामिल है, जो केन्द्रीय विद्यालयों में अपनायी गई अध्ययन की पद्धति को अपनाने के इच्छुक हैं, के बच्चे।

(ख) परियोजना क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय :

(i) उच्च अध्ययन की संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो विद्यालय भवन तथा उपकरण और कर्मचारियों पर संपूर्ण आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय वहन कर रहे हैं, के कर्मचारियों के बच्चे और सम्बंधित केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के बच्चे।

(ii) केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों जिनमें रक्षा/सी.आर.पी.एफ./बी.एस.एफ./बी.आर.टी.एफ./एस.पी.जी./एन.एस.जी. कार्मिक शामिल हैं तथा अखिल भारतीय सेवा और भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों के बच्चे।